THE LALIT KALA AKADAMI (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL, 1997

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over of the management of the Lalit Kala Akadami for a limited period in the public interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, I introduce the Bill.

STATEMENT BY MINISTER

Targeted Public Distribution System:

खाघ मंत्री **तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री** (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : महोदय, एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजानिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्नमूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। तथापि, मौजूदा सार्वजानिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रो को प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से अलोचना हुई हैं। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली के बेहतर मानीटरिग के साथ उन्हे विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजानिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव हैं।

जसाकि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कहा गया हैं, इस संबंध में शुरूआत अर्थात् खाघान्न जारी करके करने का प्रस्ताव हैं,जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती हैं।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो. लाकड़ावाला की अध्क्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल कराके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष सहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाघान्न जारी करने का प्रस्ताव हैं। इसके अलावा जैसाकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत 10 वर्षो में खाघान्न के औसत उठान को इस समय सार्वजानिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव हैं।

इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आबादी की आवश्यकता से अधिक हैं, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव हैं।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि.ग्रा. चावल/गेहू प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव हैं।

यह सर्वविदित हैं कि चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया गया हैं। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः तीन और चार बार वृद्वि की जा चुकी हैं। इन संशोधनो और अन्य आनुषंगिक खर्चो में वृद्वि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव हैं।

निर्गम मूल्य रू. कि.ग्रा.

		चावल		गेहूं		कुल राजसहायता
	कॉमन	फाइन	सुपर फाइन	करोड़ रू.		
1.	गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	--	2.50	8282.90
1.	गरीबी रेखा से ऊपर	-	6.50	7.50	4.50	